

प्रारूप-6

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/सी-3/15044/सेवानिवृत्ति/भौगक/2015-16

दिनांक:- 12/11/18

:: कार्यालय आदेश ::

श्री राजेश कुमार शर्मा, व्याख्याता (गणित) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रथखाना जयपुर जिनकी जन्मतिथि 01.12.1958 है, को अधिवार्षिकी आयु पूरी कर लेने पर दिनांक: 30.11.2018 से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री राजेश कुमार शर्मा के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,

राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/सी-3/15044/सेवानिवृत्ति/भौगक/2015-16

दिनांक:- 12/11/18

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशन वेलफेयर विभाग, जयपुर ।
2. संबंधित उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा, जयपुर ।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) जयपुर ।
5. प्रधानाचार्य, राउमावि, रथखाना, जयपुर ।
6. संबंधित कार्मिक श्री राजेश कुमार शर्मा ।
7. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
8. निजी/रक्षित पत्रावली ।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर